

## उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने अवमान नोटिस जारी किया

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय](#) ने 10 वर्ष की सेवा वाले व्याख्याताओं और सहायक अध्यापकों को उच्च वेतनमान प्रदान करने के अपने आदेशों का पालन न करने पर वदियालयी शिक्षा नदिशक को [अवमान नोटिस](#) जारी किया है।

### मुख्य बदि:

- पछिले आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय ने नरिदेश दिया था किव्याख्याताओं और सहायक अध्यापकों को चयन तथा पदोन्नतवितनमान के साथ अतरिकित वेतन वृद्धिमलिनी चाहयि।
  - सरकार अभी भी इस मुद्दे पर वचिर-वमिरश कर रही है और अंतमि नरिणय पर नहीं पहुँची है।
- वर्ष 2011 में नयिकृत व्याख्याताओं ने तरक दिया कडिन्हें दस वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नयिम, 2016 के अनुसार अतरिकित वेतन वृद्धितथा चयन वेतनमान मलिना चाहयि।
  - सरकार ने एक दशक बाद चयन वेतनमान तो दिया, लेकनि उम्मीद के मुताबकि अतरिकित वेतन वृद्धि नहीं दी।

### न्यायालय अवमान

- परचिय:
  - न्यायालय अवमान न्यायकि संस्थाओं को प्रेरति हमलों और अनुचति आलोचना से बचाने तथा इसके अधिकार को कम करने वालों को दंडति करने के लयि एक वैधानकि तंत्र के रूप में कार्य करती है।
- वैधानकि आधार:
  - जब संवधान को अपनाया गया था, तब [भारतीय संवधान के अनुच्छेद 19 \(2\)](#) के तहत न्यायालय अवमान को अभवियकृतीकी स्वतंत्रता पर प्रतबिधों में से एक बनाया गया था।
  - इसके अलावा, [संवधान के अनुच्छेद 129](#) ने [सर्वोच्च न्यायालय](#) को स्वयं के अवमान को दंडति करने की शक्तिप्रदान की। अनुच्छेद 215 ने उच्च न्यायालयों को इसी प्रकार की शक्तिप्रदान की।
  - [न्यायालय अवमान अधनियिम, 1971](#) इस वचिर को वैधानकि समर्थन देता है।
- न्यायालय अवमान के प्रकार:
  - सविलि अवमान:** यह न्यायालय के कसिी नरिणय, डकिरी, नरिदेश, आदेश, [रटि](#) या अन्य प्रकृरयि की जानबूझकर अवज्जा या न्यायालय को दयि गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन है।
  - आपराधकि अवमान:** यह कसिी भी मामले का प्रकाशन या वः अन्य कार्य है जो कसिी भी न्यायालय के अधिकार को कम करता है या इसको बदनाम करता है अथवा कसिी न्यायकि कार्यवाही के नयित क्रम में हस्तकषेप करता है अथवा कसिी अन्य तरीके से न्याय प्रशासन को बाधति करता है।
- सजा:
  - न्यायालय अवमान अधनियिम, 1971 के तहत दोषी को छह महीने तक की कैद या 2,000 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडति कयि जा सकता है।
    - इसमें वर्ष 2006 में संशोधन करके बचाव के तौर पर “सत्य और सद्भावना” को शामिल कयि गया।
    - इसमें यह भी जोड़ा गया कडिन्यायालय केवल तभी दंड दे सकता है जब दूसरे वयकृतीका कार्य न्याय के उचति तरीके में बहुत हद तक हस्तकषेप करता हो या हस्तकषेप करने की प्रवृत्तरिखता हो।

